पुलिस पूछताछ

पुलिस सुधार : अति महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय

पुलिस और आप : अधिकारों को जानें

यह पुस्तिका **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.)** द्वारा **गृह मंत्रालय** के लिए **पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने** नामक श्रृंखला के एक भाग के रूप में तैयार की गयी है।

सी.एच.आर.आई. एक अंतर्राष्ट्रीय, स्वतंत्र, गैर–लाभकारी, गैर–सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है और मानवाधिकार मानदंडों के अधिक अनुपालन की वकालत करता है। और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.humanrightsinitiative.org को देखें।

अवधारणा	:	श्रीमता माजा दारूवाला
विषय वस्तु और अनुसंधान समन्वयक	:	डा. दोएल मुकर्जी
आलेख	:	सुश्री वसुधा रेड्डी
अनुसंधान दल	:	श्री अर्नव दयाल, के.वी. अनुराधा
अनुवादक	:	श्रीमती शालिनी भूषण
आवरण अवधारणा और लेआउट/अभिकल्प	:	श्री रंजन कुमार सिंह और डा. दोएल मुकर्जी
रेखांकन	:	श्री सुरेश कुमार
सहायक कर्मचारी	:	सुभाष कुमार पात्र, पलनी अजय बाबू
मुद्रक	:	मैट्रिक्स, नई दिल्ली

दादाजी अपनी बालकोनी में बैठे थे, गर्मागर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे कि अचानक रघु दौड़ता हुआ उनके पास आया, जो काफी परेशान दिख रहा था। "रघु तुम ठीक तो हो ना, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो?" दादाजी ने पूछा। "मुझे आपकी मदद चाहिए। हवलदार भान मुझे थाना ले जाने के लिए आया है। वे लूटपाट के संबंध में मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं जिसके लिए रामू काका को भी ले जाया गया है। यह घटना कुछ दिन पहले हुई है। मुझे नहीं मालूम वे क्या पूछेंगे? मुझे पता चला है कि ये पुलिसकर्मी पूछताछ के दौरान काफी रूखा व्यवहार करते हैं।" रघु ने कहा। वह अभी भी गहरी–गहरी सांसे ले रहा था। "रघु आराम से, बैठो और पानी पीओ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं पूछताछ के दौरान तुम्हारे सभी अधिकारों के बारे में तुम्हें बताऊंगा।" दादाजी ने उसे शांत करते हुए कहा।

रघु सहायता के लिए दादाजी के पास आता है।

"रघु याद रखो, **तुम्हें ऐसा कोई वक्तव्य या जवाब नहीं देना चाहिए जो यह साबित कर दे कि तुम अपराध के दोषी हो। उदाहरण के लिए तुम्हे यह नहीं कहना है कि तुम अपराध के समय घटना स्थल पर उपस्थित थे।"** दादाजी ने कहा।

"मैं यह समझता हूं, लेकिन मुझे पता चला है कि पुलिस लोगों को कुछ भी कहने को मजबूर करती है।" रघु ने कहा।

"पुलिस तुम्हे कोई ऐसा बयान देने को मजबूर नहीं कर सकती जिसे तुम्हारे खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि वे तुम्हे यह कहने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं कि तुम किसी व्यक्ति से घृणा करते थे और उसकी हत्या करना चाहते थे।" दादाजी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, **"वे तुम्हे यह कहने को मजबूर नहीं कर सकते कि तुमने वह अपराध किया है जिसका तुम पर आरोप लगाया गया है।"**

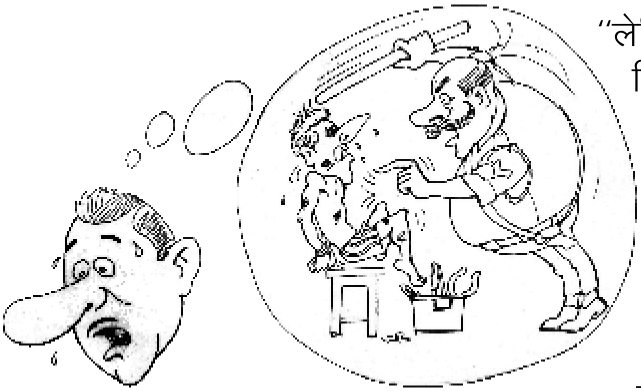

पुलिस अधिकारी को पूछताछ के दौरान बल प्रयोग के लिए दंडित किया जा सकता है।

"लेकिन पुलिस के पास अनेक तरीके हैं कि वह लोगों से कुछ बातें भी कहलवा सके जो वह चाहती है। आपको याद नहीं बगैर किसी गलती के विनीत को कितना पीटा गया था और उसकी पूछताछ थाना अधिकारी इंस्पेक्टर खान ने की थी?" परेशान रघु ने कहा।

"हां, परन्तु तुम्हे याद रखना चाहिए कि **प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि पूछताछ के दौरान उसके साथ बुरा व्यवहार न हो अथवा दुर्व्यवहार न हो या उसे प्रताड़ना न दी जाए। यदि पूछताछ के दौरान कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को पीटता है या उसे गंभीर रूप से घायल करता है तो**

कानून के अंतर्गत उस पुलिसकर्मी को दंड़ित किया जा सकता है।'' दादाजी ने बताया।

''ठीक है, मैं समझा गया।'' थोड़ा शांत होते हुए रघु ने कहा ''क्या मुझे कोई और बात याद रखनी चाहिए?''

''हां, एक और बात है, याद रखना – **यह आवश्यक नहीं कि अपनी पूछताछ के दौरान तुमने जो बयान दिया है उस पर हस्ताक्षर करो''** दादाजी ने कहा। **''पुलिस के सामने दिया कोई भी बयान तुम्हारे खिलाफ तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह मैजिस्ट्रेट के समक्ष न दिया गया हो।''**

''अपराध स्वीकार करने के बारे में आपके क्या विचार हैं?'' रघु ने पूछा।

''यदि तुम अपराध को स्वीकार करना चाहते हो तो तुम ऐसा सिर्फ मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कर सकते हो।'' दादाजी ने बताया। ''यह मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को यह बताए कि उसे दबाव में अपने अपराध को स्वीकार नहीं करना चाहिए।''

''मुझे यह नहीं मालूम था।'' रघु ने कहा। ''क्या अपराध स्वीकार करने के बारे में कुछ और भी याद रखने योग्य बातें हैं?''

''यदि किसी अपराध का अभियुक्त स्वयं अपराध स्वीकार करता है तो इसका उपयोग उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।'' दादाजी ने कहा।

''परन्तु कौन व्यक्ति यह निश्चय करेगा कि उस व्यक्ति ने स्वयं ही अपराध स्वीकारा है या उस पर दबाव दिया गया है?'' रघु ने पूछा।

''ठीक है, **यदि मैजिस्ट्रेट यह महसूस करते हैं कि अभियुक्त ने दबाव में अपराध स्वीकार किया है तो वह इस बयान को स्वीकार नहीं करेंगे'',** दादाजी ने उत्तर दिया।

''ठीक है, मैं समझ गया'' रघु ने कहा। ''किसी वकील से बात करने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पूछताछ के दौरान उसे उपस्थित होने की अनुमति है? और यदि मैं आपसे अनुरोध करूं तो क्या आप मेरे वकील बनेंगे?''

दादाजी ने कहा, ''मेरे भाई, चिंता मत करो, जब भी कोई समस्या होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि आखिरकार यह पूरे मुहल्ले की समस्या है कि पुलिस यहां अक्सर आती है। और हां, एक और बात तुम्हे अवश्य याद रखनी चाहिए कि **अभियुक्त पूछताछ के दौरान वकील से बात कर सकता है परन्तु पूरे पूछताछ के दौरान नहीं। वास्तव में तुम्हें अपने किसी मित्र या किसी रिश्तेदार को अपने साथ थाना ले जाना चाहिए।** यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं।'' दादाजी ने कहा। ''मैं समझता हूं कि अब तुम्हे थाना जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।''

"मैं तैयार हूं।" रघु ने कहा, "चलिए!"

पूछताछ के दौरान पुलिस बल प्रयोग नहीं कर सकती – यह कानून के खिलाफ है।

इस घटना के एक सप्ताह के बाद पुलिस की जीप फिर कमला नगर में घुसी और इस बार इमरान के घर के पास आयी। हवलदार भान ने उसे गिरफ्तार किया क्योंकि पुलिस के अनुसार इमरान चोरी के एक मामले मे उन संदिग्धों में से एक था जिसका मुख्य अभियुक्त रामू काका थे। थाना में पुलिस ने इमरान से घंटो पूछताछ की उसे अक्सर बन्दूक से धमकी दी और थप्पड़ मारा ताकि वह स्वीकार करे कि रामू काका के साथ चोरी में विनीत भी शामिल था। उनकी मार से बचने के लिए इमरान ने आरोप को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

पुलिस ने इमरान के साथ दुर्व्यवहार किया था, अतः वह दादाजी से मिलने गया। उन्हें स्थिति बताने के बाद उसने कहा, "मैं जानता हूं कि जो पुलिस ने किया वह गलत था लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस संबंध में क्या करे पर अब तो यह खत्म हो गया।"

"इमरान, **यदि पुलिस पूछताछ के संबंध में तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम तीन काम कर सकते हो।"** दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, **"सबसे पहले**

तुम पुलिस अधीक्षक या किसी उच्च अधिकारी जैसे कि पुलिस उप–महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक से मिल सकते हो। तुम पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेज कर भी शिकायत दर्ज करा सकते हो।''

पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा सकती है।

''यदि मैं ऐसा करूं तो क्या होगा?'' इमरान ने पूछा।

''ठीक है, यदि पुलिस अधीक्षक तुम्हारी शिकायत से संतुष्ट होता है तो वह या तो जांच का आदेश देंगे/देंगी या स्वयं जांच करेंगे/करेंगी'' दादाजी ने उत्तर दिया।

''पता नहीं, मैं यह कदम उठा सकूंगा या नहीं। आखिरकार, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप–महानिरीक्षक और महानिरीक्षक सभी पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस थाना के अपने अनुभव के बाद मैं उन्हें कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं।'' अपने साथ हुए व्यवहार को स्मरण कर कांपते हुए इमरान ने कहा।

''ठीक है, मैं यह बात समझता हूं'', दादाजी ने कहा। **''दूसरा उपाय है कि तुम अदालत जाओं। तुम उस अदालत में मैजिस्ट्रेट को, जिसके क्षेत्राधिकार में यह क्षेत्र है, सारा ब्यौरा देते हुए एक पत्र लिखकर शिकायत दर्ज करा सकते हो। तुम उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट याचिका भी दायर कर सकते हो''** उन्होंने आगे बताया।

''रिट याचिका क्या होती है और रिट याचिका दायर करने के बाद क्या होता है?'' इमरान ने पूछा।

''रिट याचिका तब दायर की जाती है जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। रिट याचिका दर्ज करने पर यदि न्यायालय यह महसूस करता है कि तुम्हारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह संबंधित प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करने का निदेश दे सकता है या कोई अन्य आदेश दे सकता है'' दादाजी ने उत्तर दिया।

''परन्तु मुझे नहीं मालूम रिट याचिका कैसे लिखी जाती है?'' इमरान ने कहा।

''यह मायने नहीं रखता, **तुम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को एक पत्र भी लिख सकते हो। यदि वे यह महसूस करते हैं कि तुम्हारी शिकायत ध्यान देने योग्य है तो वे इसे रिट याचिका के रूप में लेंगें।''** दादाजी ने बताया।

“तीसरी बात क्या है जिससे मैं पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकता हूं?” इमरान ने पूछा।

“तुम्हारा अंतिम उपाय राज्य मानवाधिकार आयोग को शिकायत दर्ज करना, यदि राज्य में कोई मानवाधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत दर्ज करना है और उन्हें बताना है कि किस प्रकार पुलिस कानून को लागू नहीं करती है या इसे भ्रष्ट या पक्षपाती तरीके से अनुचित रूप से लागू करती है।” दादाजी ने उत्तर दिया।

“मुझे मदद करने के लिए आपका शुक्रिया।” इमरान ने उठकर जाते हुए कहा।
“तुम्हारा स्वागत है, इमरान। यदि तुम्हें पत्र लिखने या शिकायत दर्ज कराने में मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझसे मिल सकतो हो।” दादाजी ने इमरान को अपने कमरे से बाहर ले जाते हुए कहा।

नीता, दादाजी की सबसे बड़ी पोती अपनी बागान में एक उपन्यास पढ़ रही थी कि उसने एस.टी.डी. बूथ के मालिक विनीत को जाते हुए देखा। उसने उसे हाथ हिलाया और उसके पास जाने और उससे बात करने का निर्णय लिया क्योंकि वह थोड़ा परेशान दिख रहा था। यह पूछे जाने पर कि बात क्या है विनीत ने बताया, “नीता दीदी पुलिस ने चोरी के मामले के बारे में, कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे इस शाम फिर पुलिस थाने में आने को कहा है। मैं काफी परेशान हूं क्योंकि तुम जानती हो पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था, पता नहीं क्या करूं क्या न करूं?”

''पूछताछ के बारे में अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है विनीत'', उसने कहा। ''बस याद रखना कि **पूछताछ के दोरान तुम अवश्य शांत रहना और सोच–समझकर जवाब देना। और जवाब देते समय जितना संभव हो स्पष्ट और सही बोलने का प्रयास करना और कोई भी अस्पष्ट बयान नहीं देना।''**

पूछताछ के दौरान कभी बढ़ा–चढ़ा कर न बोलें।

''लेकिन पुलिस इतना दबाव डालती है कि मैं आसानी से गलती कर दूंगा'' विनीत ने कहा।

''पूछताछ के दौरान लोग साधारण गलती यह करते है कि वे बढ़ा–चढ़ाकर बातें बताते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि ज्यादा जानकारी देने से पुलिस खुश हो जाएगी और वे जल्दी घर वापस जा सकेंगे। लेकिन याद रखना कि तुम घटना के बारे में सही–सही जानकारी ही दो और कभी बढ़ा–चढ़ाकर मत बताओ।'' नीता ने बताया।

''शुक्रिया, नीता दीदी, आपकी बातों से मैं थोड़ा सहज हो सका हूं।'' विनीत ने कहा।

''ठीक है विनीत, सुनो अगर तुम अभी भी परेशानी महसूस करते हो तो याद रखना

जब तुम थाने जाओ तो तुम अपने साथ एक परिजन या मित्र को ले जा सकते हो।'' नीता ने कहा। ''मैं समझता हूं मैं ऐसा करूगा। आपका फिर शुक्रिया'' विनीत ने कहा। वह अपनी साइकिल पर बैठा और चला गया।

अगले सप्ताह एक दोहपर मोहल्ले में नीता अपने 12 वर्ष के भाई अर्जुन के साथ एक फिल्म देख रही थी। अचानक अपने घर के पीछे गली में उसने चिल्लाहट की आवाज सुनी। वह पीछे की खिड़की की ओर गयी और बाहर देखा। दो व्यक्ति जिसे उसने पहले नहीं देखा था, लड़ रहे थे। अचानक उनमें से एक ने दूसरे पर चाकू से प्रहार किया और भाग गया।

पुलिस वहां आयी। अनेक लोगों से बात करने के बाद हवलदार भान नीता और अर्जुन के पास आए। उसने उनसे कहा कि वे लोग घटना के मुख्य गवाह हैं और इसलिए पूछताछ के लिए उन्हें थाना चलना होगा।

महिला और बच्चे से पूछताछ उसके परिजनों की उपस्थिति में उसके घर में ही की जानी चाहिए।

पुलिसकर्मी के दबाव के बावजूद नीता ने जाने से इंकार कर दिया। वह अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानती थी और उसने इसे स्पष्ट किया कि पुलिस उसे या उसके भाई को थाने नहीं ले जा सकती है। उसने पुलिस अधिकारी को निर्भीक

होकर कहा, ''**किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं ले जाया जा सकता है। उससे पूछताछ सिर्फ उसके परिजनों की उपस्थिति में ही की जा सकती है** और जहां तक मेरे भाई का सवाल है वह सिर्फ 12 वर्ष का है और **15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूछताछ के लिए थाने नहीं ले जाया जा सकता है। उससे भी पूछताछ सिर्फ उसके घर पर और परिजनों की उपस्थिति में ही की जा सकती है।''** यह सुनकर इंस्पेक्टर खान आए और उन्होंने नीता को शांत करने का प्रयास किया। वह उसकी मांग से सहमत हुए।

तब नीता और अर्जुन से पूछताछ उनके घर में दादाजी की उपस्थिति में हुई। दादाजी ने कहा, ''चूंकि कमला नगर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को जाने और सिर्फ इसकी जानकारी ही लोगों को बचा सकती है।''

इस पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने श्रृंखला में निम्नलिखित पुस्तिका शामिल है :

- प्रथम सूचना
- गिरफ्तारी और रोक
- पुलिस पूछताछ
- विधिक सहायता सेवा
- अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम
- जमानत
- मौलिक अधिकार

गृह मंत्रालय

मानवाधिकार विभाग

भारत सरकार